



फर्द अहकाम

2020/00347

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांट

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री नेमीचन्द पुत्र श्री रायचन्द जैन
जाति जैन
निवासी सिरौही रोड़ तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरौही।
किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 61 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
24.09.2020	<p>अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाये। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 17.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पंचायत निगरानी संख्या 07/2008 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही में पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.8.1985 व पट्टा संख्या 56 दिनांक 03.11.1981 के फॉर्म नम्बर 3 के जरिये प्रस्तुत किये गये दस्तावेज एवं वकालतनाम की सत्यापित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 16.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि पंचायत निगरानी संख्या 07/2008 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही में पट्टा संख्या 31 दिनांक 26.8.1985 व पट्टा संख्या 56 दिनांक 03.11.1981 के फॉर्म नम्बर 3 के जरिये प्रस्तुत किये गये दस्तावेज एवं वकालतनाम की सत्यापित प्रतिलिपि से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरौही